

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-53 / 2020 राजस्व वाद

अनवान

श्री कैलाशचन्द्र पिता बालूलाल सुनार निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

—वादी।

बनाम

- 1-श्री नेमीचन्द आत्मज श्री छीतरमल बोहरा आयु वयस्क नि0करेडा तहसील करेडा।
- 2-श्री नारायण कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल कुमावत आयु वयस्क नि0 करेडा तहसील करेडा।
- 3-श्री शिव सोनी पत्रु श्री भीमराज सोनी आयु वयस्क नि0 करेडा तहसील करेडा।
- 4-श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह चुण्डावत राजपूत आयु वयस्क नि0चावण्डीया तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण।

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 का0 अधिनियम।

निर्णय दिनांक 21.09.2020

यह मुकदाम अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी श्री मुकेश जैन मिनजानिब मुद्दई व स्वयं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम करेडा के खाता सं. 209 की आ0नं0 4209 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर, 4272 रकबा 13 बिस्वा, 4275 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, 4276 रकबा सं 01 बीघा 04 बिस्वा कुल कित्ता 05 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि से या उसके किसी भू भाग से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे। वादी के उपयोग उपभोग में बाधा एवं रूकावट न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। तदनुसार प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आज तारीख 21.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेडा

के.ल.म.च.ग.पो.१

